# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 128 / 2021

इमरान खत्री मार्फत हाजी मुख्त्यार हुसैन, कपडा व्यापारी, जुनैद मार्केट, फुटला बाजार, झुंझुनूं 333001

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) मलसीसर।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

**आदेश**

दिनांक 11.08.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 28.07.2021 को प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 128 / 2021 पर दिनांक 28.07.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) मलसीसर के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 2105–06 दिनांक 28.07.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) मलसीसर ने पत्रांक आर0टी0आई0 / 2021 / 66 दिनांक 10.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री इमरान खत्री का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को दिनांक 25.06.2021 को प्राप्त हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र मे चाही गई सूचना का संबंध इस कार्यालय से न होने कारण प्रार्थना पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 ( 3 ) के अन्तर्गत तहसीलदार मलसीसर को अन्तरित कर दिया गया जिसका पत्रांक आर0टी0आई0 / 2021 / 56 दिनांक 05.07.2021 है। उक्त समयावधि मे प्रार्थी एवं इस कार्यालय को जबाब न मिलने के कारण तहसीलदार मलसीसर को स्मरण पत्र–1 जिसका पत्र कमांक आर0टी0आई0 / 2021 / 60 दिनांक 22.07.2021 एवं स्मरण पत्र–2 जिसका पत्रांक आर0टी0आई / 2021 / 65 दिनांक 29.07.2021 दिया गया। तहसीलदार मलसीसर द्वारा जबाब प्राप्त होने पर श्रीमान्‌जी एवं प्रार्थी को अवगत करवा दिया जावेगा। अतः श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि अपील को खारिज करने का श्रम करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. लो0सू0अ0( उपखण्ड अधिकारी ) मलसीसर द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0 / 2021 / 66 दिनांक 10.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री इमरान खत्री का प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय को दिनांक 25.06.2021 को

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

प्राप्त हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र मे चाही गई सूचना का संबंध उनके कार्यालय से न होने कारण प्रार्थना पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 ( 3 ) के अन्तर्गत तहसीलदार मलसीसर को अन्तरित कर दिया गया जिसका पत्रांक आर0टी0आई0 / 2021 / 56 दिनांक 05.07.2021 है। उक्त समयावधि मे प्रार्थी एवं उनके कार्यालय को जबाब न मिलने के कारण तहसीलदार मलसीसर को स्मरण पत्र–1 जिसका पत्र कमांक आर0टी0आई0 / 2021 / 60 दिनांक 22.07.2021 एवं स्मरण पत्र–2 जिसका पत्रांक आर0टी0आई / 2021 / 65 दिनांक 29.07.2021 दिया गया। तहसीलदार मलसीसर द्वारा जबाब प्राप्त होने पर श्रीमान्जी एवं प्रार्थी को अवगत करवा दिया जावेगा। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लो0सू0अ0 ( उपखण्ड अधिकारी ) मलसीसर एवं तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाना सुनिशिचित करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/8/21

( यू0डी0 खान )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं